दां.प्र.क्र. 781/2022
शासन विरूद्ध भूपेन्द्र शर्मा

Witness No..........**01**..........for..........**अभियोजन साक्ष्य**..........Deposition taken

the..........**03-02-2025**..........day of...गुरूवार Witness's apparentage..........**41 वर्ष**

States of affirmation..........**शपथपूर्वक**..........my name is..........**लक्ष्मी नारायण यादव**..........

Son of..........**स्व गोरा राम यादव**..........occupation..........कृषि..........

Address..........**साकिन सिरली थाना सक्ती. जिला सक्ती चाम्पा छ०ग०**..........

प्रारंभ समय 03.20 बजे।

01– साक्षी को गिरफतारी पत्रक मे आरोपी का चस्पित फाटो दिखाये जाने पर जानने पहचानने इंकार किया किया ।

02– आज से लगभग 1 साल पूर्व अपने मोटर सायकल एच एफ डिलक्स क्रं सीजी 11 एम बी 5639 से ग्राम अडभार से अपने रिस्तेदार झाडूराम यादव के घर अडभार गया था जहां परउसके घर केसामने अपने उक्त मोटर सायकल को खडा किया था तभी लगभग 2.30 को दोपहर घर से बाहर निकलकर देखा तो मेरा उक्त मोटर सायकल नही था तथा आस पास तलाश करने पर नही मिला । कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया था, मेरा उक्त मोटर सायकल का कीमत लगभग 15000/– रूपये का था ।

03– घटना के संबंध मे थाना मालखरौदा चौकी अडभार मे लिखित शिकायत **प्र०पी० 1** दिया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है । उक्त शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट **प्र०पी० 2** के अ से अभाग पर अपना हस्ताक्ष होना स्वीकार किया तथि घटना स्थल का नजरी नक्शा **प्र०पी० 3** के अ से अ भाग पर अपना हस्ताक्षर होना स्वीकार किया था । घटना के कुछ दिन बाद मेरे द्वारा चौकी अडभार मेरे चोरी शुदा मोटर सायकल का आरसीबुक पेश करने पर पुलिस द्वारा जप्त कर जप्ती पत्रक **प्र०पी० 4** तैयार किया था जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है ।

साक्षी द्वारा अभियोजन का समर्थन नही किये जाने से अभियोजन अधिकारी द्वारा सूचक प्रश्न की प्रवृत्ति वाले प्रश्न पूछे जाने की अनुमति चाही गयी, विचार बाद अभिलेख के अवलोकन पश्चात सूचक सदृश प्रश्न पूछने की अनुमति दी गयी।

04– यह कहना सही है कि घटना दिनांक 13/04/2022 की है । यह कहना सही है कि दोपहर लगभग 3.30 बजे अपने रिस्तेदार झाडूराम के घर से बाहर निकला तो देखा कि बाहर खडा मेरा मोटर सायकल नही था ।

//प्रतिपरीक्षण हेतु आरोपी श्री सी के भारद्वाज वास्ते आरोपी//

05– यह कहना सही है कि मैने अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया था । यह कहना सही है कि मेरे मोटर सायकल को किसने चोरी किया था ।

(प्रति परीक्षण समाप्ति समय 03:31 बजे)

वाचित/सत्य स्वीकृत

DIVYA GOYAL Digitally signed by DIVYA GOYAL

कु० दिव्या गोयल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सक्ती
जिला जांजगीर–चाम्पा छ०ग०

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

DIVYA GOYAL Digitally signed by DIVYA GOYAL

कु० दिव्या गोयल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सक्ती
जिला जांजगीर–चाम्पा छ०ग०